मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 5 मई, 2006

क्रमांक. 1192–म.प्र.वि.नि.आ.–2006. संसद द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (जी) सहपठित धारा 32 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण (लेवी) एवं संग्रहण के अवधारण संबंधी निम्न विनियम बनाये जाते हैं :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी – 16, वर्ष 2006)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं को, जो कि मध्यप्रदेश राज्य में राज्यीय पारेषण प्रणाली एवं राज्यीय उत्पादन स्टेशनों का उपयोग कर रहे हैं तथा जिनका प्रबोधन तथा सेवा प्रदाय कार्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :

2.1 ''देयक माह'' से अभिप्रेत है प्रचलित कलेण्डर माह के अन्तिम दिन तक के वाचन पर्यन्त तक ।

2.2 ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ।

2.3 ''रा.भा.प्रे.के.'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र ।

2.4 ''खुली पहुंच क्रेता'' तथा उसकी दीर्घ–कालीन तथा लघु–कालीन खुली पहुंच क्रेता श्रेणियां वही अर्थ रखेंगी जैसा कि उन्हें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 तथा उसके संशोधनों में उनके लिये नियत है ।

2.5 जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन अधिनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001), मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियम, 2004 में प्रयुक्त हैं ।

3. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कृत्य :

3.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र निम्न हेतु उत्तरदायी होगा :–

(ए) विद्युत का अनुसूचीकरण तथा सम्प्रेषण;

(बी) ग्रिड के नियंत्रण हेतु वास्तविक समय प्रचालन को कार्यान्वित करना तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना;

(सी) राज्य में पारेषण प्रणाली के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को निष्पादित करना;

(डी) ग्रिड प्रचालन का प्रबोधन करना;

(ई) ग्रिड के माध्यम से पारेषित की गई विद्युत मात्रा को लेखांकित करना; तथा

(एफ) पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से समन्वयन करना ।

4. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व :

4.1 अपने कृत्यों, उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के निर्वहन में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिनियम के उपबंधों,, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के उपलब्धता आधारित टैरिफ आदेश के उपबंधों, म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एव शर्तें) विनियम के उपबंधों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अन्य कोई नियम, विनियम तथा व्यवसायिक निर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच क्रेताओं तथा उत्पादन कंपनियों के मध्य अथवा अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं के मध्य किये गये अनुबंधों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेगा । अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र खुली पहुंच क्रेताओं में किसी एक से भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा ।

4.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र :

(ए) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के दिशा–निर्देशों का परिपालन करेगा;

(बी) यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी भी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण इकाई या राज्य के अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य की उत्पादन कंपनी अथवा उपकेन्द्र को जारी दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा रहा है;

(सी) उसके स्वयं के कृत्यों तथा प्रचालन में पारदर्शिता का प्रतिपालन कर रहा है;

(डी) ग्रिड प्रचालन तथा ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से विद्युत अन्तरण के आंकड़ों का संग्रहण तथा संधारण करेगा;

(ई) ऊर्जा लेखा के साथ–साथ गैर–अनुसूचित अदला–बदली (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेन्ज अर्थात् यू–आई) का लेखा तैयार करेगा;

(एफ) विद्युत की गैर–अनुसूचित अदला–बदली के देयक तैयार करेगा तथा उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया का निर्धारण, देयक अवधि, भुगतान की विधि, भुगतान का समय, विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार तथा देयक भुगतान न किये जाने पर अर्थदण्ड के प्रावधान संबंधी संदर्भों में विनिर्दिष्ट करते हुए, करेगा; तथा

(जी) ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसा कि आयोग अन्य किसी विनियम में अथवा अन्यथा विनिर्दिष्ट करे ।

4.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग को निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा :

अ. मासिक विद्युत लेखांकन विवरण पत्रक, स्त्रोतवार आहरण तथा वितरण कंपनी/खुली पहुंच क्रेता द्वारा विद्युत का वितरण दर्शाते हुए ।

ब. उसके द्वारा प्रचालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जैसा कि निम्न में विनिर्दिष्ट किया गया है :

i) म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता,

ii) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम,

iii) उत्पादन टैरिफ एवं पारेषण टैरिफ से संबंधित आयोग के विभिन्न आदेश एवं

iv) अन्य कोई विनियम ।

5. वर्जित गतिविधियां :

5.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत व्यापार के व्यवसाय में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा ।

6. राज्य भार प्रेषण केन्द्र का लेखा :

6.1 जब तक कि आयोग अनुमति न दे, वित्तीय वर्ष प्रथम अप्रेल से आगामी इकतीस मार्च तक होगा ।

6.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिस तिथि से विद्युत अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना की गई है, वह स्वयं का वित्तीय लेखा पृथक से संधारित करेगा तथा उसके द्वारा किये गये समस्त, व्ययों का पृथक से लेखा रखेगा । यदि राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का प्रचालन कर रही हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित लेखा राज्य पारेषण इकाई द्वारा पृथक से संधारित किया जावेगा ।

7. राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार :

7.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र दीर्घ–कालीन क्रेताओं पर निम्नानुसार शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण कर सकेगा :

(अ) संयोजन शुल्क – विनियम 8 के अनुसार;

(ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार – विनियम 9 के अनुसार;

(स) अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभार – विनियम 10 के अनुसार ।

7.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र लघु–कालीन क्रेताओं पर निम्नानुसार शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण कर सकेगा :

(अ) संयोजन शुल्क – विनियम 8 के अनुसार;

(ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार – विनियम 9 के अनुसार;

(स) अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभार – विनियम 10 के अनुसार ।

8. ग्रिड से संयोजन हेतु आवेदन तथा संयोजन शुल्क का उदग्रहण :

8.1 समस्त विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी, वर्तमान में राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले खुली पहुंच के क्रेतागण, राज्यीय उत्पादन कंपनियों जो दीर्घ–कालीन अनुबंधों के अन्तर्गत राज्य ग्रिड से पूर्व में संयोजित है इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक माह के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र को एक आवेदन प्रस्तुत कर संयोजन शुल्क की राशि रू. 1,00,000.00 (रूपये एक लाख) के साथ प्रस्तुत कर स्वयं का पंजीकरण करायेंगे ।

8.2 समस्त नवीन अनुज्ञप्तिधारी तथा खुली पहुंच के क्रेतागण जो राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग दीर्घ–कालीन अनुबंधों के अन्तर्गत कर रहे हों तथा मध्यप्रदेश राज्य की कोई नवीन उत्पादन कंपनियां जो राज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग दीर्घ–कालीन अनुबंधों के अन्तर्गत कर रही हों, वे स्वयं को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को एक आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र में (परिशिष्ट–1) राज्य ग्रिड से

संयोजन किये जाने की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम एक माह पूर्व संयोजन शुल्क की राशि रू. 1,00,000.00 (रूपये एक लाख) जमा कर राज्य ग्रिड से संयोजित करायेंगे ।

8.3 राज्यीय पारेषण प्रणाली से अर्न्तसंयोजन के इच्छुक लघु–कालीन खुली पहुंच क्रेतागण स्वयं का राज्य ग्रिड से संयोजन राज्य भार प्रेषण केन्द्र को निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 तथा उसमें किये गये संशोधनों सहित'' के उपबंधों के अनुसार संयोजन शुल्क की राशि रू. 5000.00 (रूपये पांच हजार) प्रतिमाह अथवा उसका भाग जमा कर, करायेंगे । दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेतागण जिनके द्वारा संयोजन शुल्क की रूपये एक लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें किसी संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा यदि वे लघु–कालीन खुली पहुंच के इच्छुक हों, परन्तु उन्हें लघु–कालीन खुली पहुंच हेतु एक आवेदन ''म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 तथा उसमें किये गये संशोधनों संहित'' के अनुसार प्रस्तुत करना होगा ।

8.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत तथा आवेदन में प्रस्तुत सूचना के परिपूर्ण तथा सही होने की तुष्टि उपरांत ही उसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र के रिकार्ड में उसे पंजीकृत करते हुए उसकी स्वीकृति बाबत आवेदक को अवगत करायेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुज्ञप्तिधारियों, दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेता जो राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तथा राज्य ग्रिड से संयोजित राज्यीय उत्पादन कंपनियां तथा जिनके द्वारा इनका प्रबोधन किया जा रहा है/सेवा प्रदाय की जा रही है, आयोग को प्रतिवर्ष 15 नवम्बर तक इसकी जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

8.5 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 तथा इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार परिभाषित आवेदन शुल्क, इन विनियमों के अन्तर्गत उदग्रहण किये गये संयोजन शुल्क से, अतिरिक्त देय होगा ।

8.6 उपरोक्त विनियम 8 के अन्तर्गत संयोजन शुल्कों से अर्जित राजस्व को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुवर्ती वर्ष के शुल्क तथा प्रभार की गणना हेतु आय माना जावेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे उपार्जन से प्राप्त राशि का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय आयोग को उसे ऐसे लेखे के ब्यौरे प्रकट करना होंगे ।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का उद्ग्रहण :

9.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसा कि ये विनियम 9 के अन्तर्गत राज्य में पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के राज्यीय पारेषण अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं को जो दीर्घ–कालीन अनुबंधों के अन्तर्गत हों तथा जो राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली से संयोजित हों व राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य में प्रबोधित किये जा रहे हों व उनकी आवंटन क्षमता के अनुपात में सेवा प्राप्त कर रहे हों, को विनिर्दिष्ट है ।

9.2 वसूली योग्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का अवधारण निम्न प्रचालन व्ययों के आधार पर किया जावेगा :

ए. प्रचालन तथा संधारण व्यय जिनमें कर्मचारी लागत, प्रशासन तथा सामान्य प्रभार तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय सम्मिलित होंगे,

बी. परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन,

सी. ब्याज तथा वित्त प्रभार, जहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र के ऋण पूंजीगत व्यय के विरूद्ध चिन्हित किये जा रहे हों,

डी. पूंजीगत लागत पर ब्याज, यदि वह लागू हो,

ई. पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ जो कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत योगदान हेतु चिन्हित किया गया हो,

एफ. कर तथा शुल्क, एवं

जी. पूंजीगत लागत ।

9.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को रू. 5.00 लाख से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्राक्कलनों पर व्यय किये जाने के लिये आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

आयोग द्वारा लागत प्राक्कलनों का सूक्ष्म परीक्षण उनमें पूंजीगत लागत के युक्तियुक्त होने, वित्तीय योजना, निर्माण के दौरान देय ब्याज दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा ऐसे समस्त मामले जिनका प्रभारों पर प्रभाव पड़ता हो, से संबंधित होगा तथा आयोग इस पर विशेषज्ञ परामर्श, जैसा कि वह उचित समझे, प्राप्त कर सकेगा ।

टीप 1 :

पुरानी परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित किये जाने वाले किसी व्यय पर विचार मूल लागत में से मूल परिसम्पत्ति के सकल मूल्य के अपलेखन पश्चात किया जावेगा । विलग की गई परिसम्पत्तियों के कारण विक्रय से होने वाली हानि को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व, प्रत्येक परिसम्पत्ति, जिसे कि उसके उपयोगी आयुकाल से पूर्व निवृत्त कर दिया गया है का मदवार औचित्य प्रतिपादित किया जावेगा ।

9.4 पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ :

i. पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु विशिष्ट रूप से किये गये पूंजी के अंशदानों की राशि पर ही की जावेगी तथा यह गणना 14 प्रतिशत (टैक्स गणना उपरांत) होगी, जब तक आयोग इससे कम स्तर पर अनुज्ञेय न करे, जिस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जावेंगे ।

ii. पूंजीगत अंशदान जारी करते समय प्रवर्तित पूंजी (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश यदि कोई हो, तो इसकी गणना चुकाई गई पूंजी बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप की जावेगी बशर्ते ऐसी प्रवर्तित पूंजी एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जावें तथा अनुमोदित वित्तीय संव्यवहार (पैकेज) का भाग बनें । प्रतिलाभ की संगणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से कि वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालनों में उत्पादकता हेतु प्रयुक्त किया गया है, माना जावेगा ।

9.5 ब्याज एवं ऋण पूंजी पर वित्तीय प्रभार :

i. ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभारों की गणना बकाया ऋणों के आधार पर की जावेगी जिसमें ऋण, बांड अथवा ऋण पत्र से संबद्ध अनुबन्ध के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार ऋण अदायगी कार्यक्रम (शेड्यूल) को ध्यान में रखा जावेगा एवं जो कि सामान्यतः पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की सावधि ऋण प्रदाय दर अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों तक सीमित होंगी। इनमें विद्यमान तथा पिछले ऋणों में अपवाद किये जा सकते हैं जिनमें संपादित किये गये अनुबन्धों के अनुसार भिन्न निबधंन हो सकते हैं, यदि आयोग इस संबंध में संतुष्ट हो कि ऋण कतिपय चिन्हित परिसम्पत्तियों हेतु अनुबंधित तथा आवेदित है ।

बशर्ते यह कि इस प्रयोजन हेतु, विचारित समस्त ऋणों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु निर्मित परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि ऋण अनुबंध जिन पर संधिवार्ता से किये गये पुर्ननिर्धारण द्वारा उच्चतर प्रभार आवें, उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि निर्माणाधीन कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों को छोड़ दिया जावेगा तथा इन्हें पूंजीगत लागत का एक भाग नहीं माना जावेगा ।

ii. यदि कोई विलंब काल अवधि संबंधी सुविधा प्राप्त की जाती है, तो विलंब काल के वर्षो में दिये गये प्रभारों के अवमूल्यन को उक्त वर्षों में ऋण अदायगी माना जावेगा तथा ऋण पूंजी पर ब्याज की तदनुसार गणना की जावेगी ।

iii. राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऋण में अदला–बदली के संबंध में तब तक वे समस्त उपाय करेगा जो ग्रिड के दीर्घ–कालीन क्रेताओं को परिशुद्ध लाभ देने में परिणित हों। इस अदला–बदली से संबद्ध लागत ग्रिड के दीर्घ–कालीन क्रेताओं द्वारा वहन की जावेगी तथा ऋण पर ब्याज से प्राप्त कोई लाभ दीर्घ–कालीन क्रेताओं को उस अनुपात में अंतरित किया जावेगा जैसा कि आयोग निर्णय लेवे। खुली पहुंच क्रेता द्वारा वहन की जाने वाली लागत खुली पहुंच क्रेता को अन्तरित किये गये लाभ से अधिक न होगी ।

9.6 अवमूल्यन :

प्रभारों के अवधारणा के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न रीति द्वारा की जावेगी :

(i) अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार परिसम्पतियों की ऐतिहासिक लागत होगा अर्थात, वास्तविक व्यय, जो अनुमोदित/स्वीकृत पूंजीगत लागत तक सीमित होगा :

बशर्ते कि उपभोक्ता का योगदान अथवा पूंजीगत राज्यानुदान (सबसिडी)/अनुदान आदि को अधिसूचित लेखा नियमों, जैसा कि वे समय–समय पर लागू किये जावें, के अनुसार निरूपित किया जावेगा ।

(ii) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिग) सम्मिलित होगी जिसे कि वास्तविक तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जावेगा।

(iii) अनुज्ञेय योग्य अवमूल्यन के अवधारण की दृष्टि से अवमूल्यन दरें केन्द्रीय विद्युत नियामक

आयोग की अधिसूचना के अनुसार होंगी। विद्यमान दरें इन विनियमों के **परिशिष्ट– 3** में दर्शाई गई हैं।

बशर्ते कि उसके जीवनकाल में परिसम्पत्ति का कुल अवमूल्यन, मूल लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगा।

9.7 पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पटटे (लीज) पर ली गई परिसम्पतियों पर पटटा संबंधी अनुबंध अनुसार पटटा प्रभारों पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते आयोग इन्हें युक्तियुक्त समझे।

9.8 प्रचालन एवं संधारण व्यय :

i. प्रचालन एवं संधारण व्यय अर्थात् आपरेशन एण्ड मेंटनेंस एक्सपेन्सिस–(ओ एण्ड एम एक्सपेन्सिस) से अभिप्रेत है जनशक्ति, मरम्मत, कलपुर्जों (स्पेअर्स), उपभोग्य वस्तुओं, कार्यालयीन प्रशासन तथा सामान्य मद के अन्तर्गत किये गये व्यय ।

ii. प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अवधारण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किये गये वास्तविक व्ययों के आधार पर किया जावेगा ।

9.9 कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

i. राज्य भार प्रेषण केन्द्र मासिक आधार पर कार्यकारी पूंजी राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों के 1/12 वें भाग की राशि के बराबर जनित कर सकेगा ।

ii. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा गणना की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जावेगी तथा इसकी गणना स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य लघु–कालीन मुख्य ऋण प्रदाय दर (शार्ट–टर्म प्राईम लैंडिग रेट) की समतुल्य दर में 1% जोड़कर की जावेगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण मानकीकृत आंकडों के आधार से अधिक हो गया हो ।

9.10 विदेश विनिमय दर परिवर्तन (फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरियेशन – एफ ई आर वी) :

विदेश विनिमय परिवर्तनीय दायित्व अन्तरण योग्य न होगा । किसी प्रकार की लिवाली तथा उतार–चढ़ाव की उपयुक्त कीमतें जो कि विदेश विनिमय परिवर्तन की अवेक्षा हेतु आवश्यक होंगी, प्राप्त किये गये ऋणों हेतु अनुज्ञेय की जावेंगी ।

9.11 आय पर कर :

i. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के आय प्रवाह पर कोई कर, यदि वह लागू हो, को व्यय माना जावेगा तथा इसकी वसूली प्रभारों के माध्यम से की जा सकेगी । परन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन को छोड़कर, अन्य किसी आय प्रवाह पर कर, प्रभारों को अन्तरण योग्य न होगा। ऐसी किसी अन्य आय पर देय कर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा देय होगा ।

ii. आय पर देय वास्तविक रूप से कोई कर अनुज्ञेय की गई इक्विटी से प्राप्त किसी प्रतिलाभ तक ही सीमित होगा जिसमें प्रोत्साहन राशि शामिल नहीं की जावेगी ।

iii. आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुरूप कर–अवकाश के लाभ को एवं हानियों को आगे ले जाने पर कतिपय साख को प्रभारों के द्वारा अन्तरित किया जा सकेगा ।

9.12 आयकर तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन का प्रावधिक निर्धारण :

आयोग द्वारा आयकर तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन का प्रावधिक निर्धारण राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों के निर्धारण हेतु किया जावेगा तथा यह विनियम 9.10 तथा 9.11 के उपबंधों के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ों के समायोजन के अध्यधीन होगा ।

9.13 पेंशन तथा उपदान दायित्व :

i. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/उनकी उत्तराधिकारी इकाइयों से संबंधित विद्यमान कर्मचारियों के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन एवं उपदान संबंधी अंतरण योजना की प्रभावशील तिथि से अनिधित दायित्व की राशि तथा इस दायित्व के निर्वहन की रीति आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मई 2005 को अधिसूचित अंतरण योजना को अधिसूचना दिनांक 13 जून 2005 द्वारा संशोधित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा अब कर्मचारियों के पेंशन निर्वहन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में पृथक कोष के गठन का निर्णय लिया गया है ।

ii. आयोग प्रचालन एवं संधारण राशि के प्रावधान के अतिरिक्त, कर्मचारियों को देय टर्मिनल प्रसुविधाओं पर किये गये भुगतान की वास्तविक राशि तथा आगामी वर्ष हेतु प्राक्कलित आधार पर देय पेंशन की राशि के भुगतान को अनुज्ञेय करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक त्रैमास में इस दायित्व के निर्वहन किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा । देय भत्तों में अन्तर की राशि तथा वास्तविक राशि को आगामी वर्ष में समायोजित किया जावेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, कंपनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उनके लेखा में टर्मिनल प्रसुविधाओं से उद्भूत राशि को प्रकट करेगा ।

9.14 प्रभारों से आय :

आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार पारेषण केन्द्र प्रचालनों हेतु समस्त प्रभारों से आय को आय माना जावेगा । इस आय में समस्त शुल्क तथा प्रभार, जैसे कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये जावें, सम्मिलित होंगे ।

9.15 विलंब भुगतान अधिभार :

यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र (रा.भा.प्रे.के.) शुल्क तथा प्रभारों के देयकों के भुगतान में विलंब रा.भा.प्रे.के. द्वारा इनकी प्रस्तुति दिनांक से 60 दिवस के बाद किया जाता है तो रा. भा.प्रे.के. द्वारा विलंब भुगतान अधिभार की वसूली 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दैनिक आधार पर रा.भा.प्रे.के. द्वारा देयक प्रस्तुतिकरण दिनांक से की जा सकेगी ।

9.16 छूट :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों के भुगतान हेतु 2 प्रतिशत छूट की अनुमति प्रदान की जावेगी, यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा देयक प्रस्तुति दिनांक से 7 दिवस के भीतर भुगतान किया जावे तथा 1 प्रतिशत छूट की अनुमति प्रदान की जावेगी, यदि रा.भा.प्रे.के. द्वारा देयक प्रस्तुति दिनांक से एक माह के भीतर भुगतान किया जावे ।

10. प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार :

10.1 वे क्रेतागण जो दीर्ध–कालीन अनुबंध सम्पादित कर रहे हैं, को प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान नहीं करना होगा परन्तु उन्हें प्रत्येक बार अनुसूचीकरण के पुनरीक्षण किये जाने पर प्रभारों का भुगतान, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जावे, करना होगा ।

10.2 प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार जैसा कि वे आयोग द्वारा प्रति सौदा (ट्रांसेक्शन) प्रति दिवस अथवा उसके किसी भाग के आधार पर अवधारित किये जावें, समस्त लघु–कालीन, खुली पहुंच क्रेतागणों द्वारा जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, प्रति माह अग्रिम में भुगतान करना होंगे । उन्हें प्रत्येक बार अनुसूची के पुनरीक्षण किये जाने बाबत प्रभारों के भुगतान, जैसे कि वे आयोग द्वारा अवधारित किये जावें, करना होंगे ।

10.3 विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जावेगी । शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनुवर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जावेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसके वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा ।

11. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों के संग्रहण का आधार :

11.1 वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों की गणना विनियम 9 में दिये गये विवरण के अनुसार की जावेगी तथा इनकी वसूली अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं, जिनके द्वारा दीर्घ–कालीन अनुबंध सम्पादित किये गये हैं तथा राज्यीय पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, से की जावेगी ।

11.2 वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेतागण जिनके द्वारा दीर्घ–कालीन अनुबंध सम्पादित किये गये हैं के प्रभारों का आवंटन आयोग द्वारा अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंश आवंटन के अनुपात में किया जावेगा ।

12. शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण हेतु आवेदन :

12.1 राज्य भार प्रेषण केन्द, आयोग के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष, दिनांक 15 सितम्बर तक, एक आवेदन/याचिका उन विवरण–पत्रकों सहित जिनमें शुल्क तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों के विवरण उनके विद्यमान अनुमोदित शुल्क तथा प्रभारों मय प्रस्तावों के साथ, सम्मिलित होंगे, यदि ये लागू हों, आगामी वर्ष के शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण हेतु, प्रस्तुत करेगा । इस संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी परिशिष्ट 2 पर दर्शाई गई हैं जिसमें की गई अवधारणा का विस्तृत स्पष्टीकरण तथा आयोग के पूर्व आदेश में जारी किये गये निर्देशों संबंधी परिपालन की अद्यतन स्थिति दर्शाई गई है ।

12.2 सभी प्रकार से परिपूर्ण याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियानुसार प्रस्तुत की जावेगी ।

12.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूली योग्य 'शुल्क तथा प्रभारों' संबंधी आवेदन के साथ आवेदक को रू. 1,00,000 (रूपये एक लाख) का आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा ।

12.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक धन–विनियोग योजना पांच वर्षीय अवधि हेतु तैयार करेगा जो कि आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगा तथा इसमें धन–विनियोग योजना हेतु वित्तीय स्त्रोतों का समावेश किया जावेगा । धन–विनियोग योजना को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा तथा इसे आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत व्यय दिशा–निर्देशों के अनुसार शुल्क तथा प्रभारों हेतु आवेदन से संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत किया जावेगा ।

12.5 यदि वर्तमान में लागू शुल्क तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों तथा आगामी वित्तीय वर्ष की राजस्व आवश्यकता के मध्य कोई राजस्व अन्तर परिलक्षित हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक प्रस्ताव भी समाहित करेगा जिसमें वह प्रस्तावित करेगा कि वह किस प्रकार राजस्व अन्तर को घटायेगा ।

12.6 हार्ड प्रतियों के अतिरिक्त, जानकारी आवश्यक रूप से ऐसे इलेक्ट्रानिक रूप में, जैसा कि आयोग की आवश्यकता हो, प्रस्तुत की जावेगी ।

12.7 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को एक कार्यकारी दल का गठन करना अनिवार्य होगा जो आयोग को वांछित जानकारी प्रस्तुत करने की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा तथा आयोग को विशिष्ट जानकारियां प्रस्तुत करेगा ।

12.8 आयोग किसी आवेदन में अपर्याप्तता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी की प्राप्ति हेतु, यदि वे लागू हों, हेतु अनुरोध कर सकेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र इसे आयोग द्वारा निर्बंधित तिथि तक स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा ।

12.9 टैरिफ आवेदन/जानकारी (जैसा कि अनुच्छेद 12.1 तथा 12.8 में उल्लेखित हैं) की प्रस्तुति में किसी प्रकार का विलंब/जानकारी प्रस्तुत न किये जाने पर, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के उपयुक्त उपबंधों के अनुसार त्रुटिकर्ता पर शास्ति/अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा ।

13. अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्यीय पारेषण और/या वितरण प्रणाली के उपयोगकर्ता दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेताओं हेतु जानकारी :

13.1 आयोग को, स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के पश्चात, राज्य भार प्रेषण केन्द्र इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, स्थाई वितरण अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों तथा अन्य दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेता जो राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, को आगे पूर्ण आवेदन तथा स्पष्टीकरण की प्रतियां उपलब्ध करायेंगे ।

13.2 ''शुल्क तथा प्रभारों'' के अवधारण संबंधी आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वैबसाईट पर डाऊन लोड किये जाने योग्य प्रपत्र पर समस्त हितग्राहियों द्वारा सुगम प्राप्ति हेतु प्रविष्टि किये जाने चाहिए ।

14. सुनवाई :

14.1 जब तक कि अन्यथा विशिष्ट कारणों से आयोग द्वारा निर्देशित न किया जावे, आयोग राजस्व गणनाओं तथा शुल्क एवं प्रभारों पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर एक कार्यवाही का आयोजन कर सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, स्थाई वितरण अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों तथा अन्य दीर्घ–कालीन खुली पहुंच उपयोगकर्ता जो

राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों अथवा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कि आयोग द्वारा ऐसी राजस्व गणनाओं तथा शुल्क तथा प्रभारों संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु उपयुक्त समझा जावे, की सुनवाई कर सकेगा ।

15. आयोग के आदेश :

15.1 आवेदन की प्राप्ति से 120 दिन के भीतर (जैसा कि अनुच्छेद 12.1 में उल्लेखित है) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, स्थाई वितरण अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों तथा अन्य दीर्घ–कालीन खुली पहुंच उपभोक्ता जो राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों से प्राप्त सुझावों व आपत्तियों पर विचारोपरांत, आयोग :

अ. एक आदेश जारी कर आवेदन की स्वीकृति, ऐसे संशोधनों अथवा ऐसी शर्तों पर जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जावे, कर सकेगा; अथवा

ब. आवेदन को निरस्त कर सकेगा, यदि ऐसा आवेदन विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अन्तर्गत न आता हो, तथा जिसके लिये कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जावेगा ।

बशर्ते कि उसका आवेदन निरस्त किये जाने से पूर्व एक आवेदनकर्ता को सुनवाई किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जावेगा ।

15.2 आयोग शुल्क तथा प्रभारों का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियमों के उपबंधों तथा उद्देश्यों के अनुरूप तथा अन्य कोई प्रचलित नीतियों अथवा विनियमों जैसा कि वे लागू हों, के अनुसार करेगा ।

15.3 आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु प्रावधिक 'शुल्क तथा प्रभारों' का अवधारण कर सकेगा, यदि आयोग इसे कार्यान्वित किया जाना आवश्यक समझे ।

16. आदेश की प्रयोज्यता :

16.1 आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभार आयोग के आदेशों के केवल सात दिवस के बाद ही प्रभावशील होंगे तथा तदानुसार देयक जारी किये जावेंगे ।

16.2 आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क तथा प्रभार आयोग के आदेश में उल्लेखित अवधि तक के लिये वैध होंगे ।

17. आदेश की समीक्षा :

17.1 शुल्क तथा प्रभारों की समीक्षा के आवेदन याचिका के रूप में होंगे जिनके साथ निर्धारित शुल्क संलग्न किया जावेगा । शुल्क तथा प्रभारों की समीक्षा हेतु कोई याचिका आयोग द्वारा निम्न शर्तों के अन्तर्गत ही स्वीकार की जावेगी :

अ. समीक्षा याचिका आदेश की तिथि से 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत की गई हो, तथा

ब. यह सिद्ध किया जा सके कि इसमें अभिलेखों के अनुसार प्रत्यक्ष त्रुटि पाई गई है ।

17.2 आयोग, यदि वह संतुष्ट है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क तथा प्रभारों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है, स्वयेंव एक स्व–प्रेरणा प्रक्रिया द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क तथा

प्रभारों की समीक्षा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इसे प्रारंभ कर सकेगा ।

18. सूचना का प्रयोग :

18.1 आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (रा.भा.प्रे.के) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रयोग जैसा कि वह उचित समझे करने के साथ–साथ उसे प्रकाशित करने अथवा आयोग की वैबसाईट पर प्रस्तुत करने और/या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को रा.भा.प्रे.के. की वैबसाईट पर जानकारी प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किये जाने का, अधिकार रखेगा ।

19. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का संग्रहण :

19.1 अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–कालीन खुली पहुंच उपभोक्ता जो राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वार्षिक प्रभारों का भुगतान दो अर्द्धवार्षिकी किस्तों में अग्रिम रूप से करेंगे । इसका भुगतान किसी अर्द्धवार्षिकी खण्ड के आरंभ होने से पूर्व माह में किया जावेगा ।

19.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों के भुगतान में होने वाले विलंब/भुगतान न किये जाने पर उत्पन्न होने वाले विवादों को यथासंभव परस्पर समझौता–वार्ता द्वारा निपटान किया जावेगा । यदि विवाद परस्पर समझौता–वार्ता द्वारा नब्बे दिवस के अन्दर निराकृत नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में प्रकरण को आयोग को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा याचिका के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकेगा । आयोग का निर्णय दोनों पक्षकारों को बन्धनकारी होगा ।

20. संशोधन के अधिकार :

20.1 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में जोड़ने/बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने या संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

21. निरसन एवं व्यावृत्तियां :

21.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 जो अधिसूचना क्र. 2556 – मप्रविनिआ. – 2004 दिनांक 21 सितम्बर 2004 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के जो विनियम के विषय वस्तु से प्रयोज्य हों, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

21.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

21.3 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को, इस विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इस विनियमों के किसी प्रावधानों से अन्यथा हो ।

21.4 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई

विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे निवर्तित कर सकेगा ।

टीप : इन 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण विनियम, 2004 प्रथम पुनरीक्षण, 2006' के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा), उप सचिव